



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263634
CG-DL-E-06062025-263634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2431]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947

No. 2431]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2025

का.आ. 2490(अ).—यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1050(अ) दिनांक 05 मार्च, 2024 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71 के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के 74 किलोमीटर लंबाई वाले मदनपल्ले-पिलेरु-कलूर खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्दि किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 55.900 (मौजूदा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 59.250) मदनपल्ले-पिलेरु खंड तक के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 20.244 कि.मी. की निवल सङ्क खंड लंबाई (सारणी-2) और 34.370 कि.मी. (संरचना की लंबाई 3.437 कि.मी., सारणी-4) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 32.219 किलोमीटर लंबाई वाले बाईपास (सारणी-3) के लिए आधार दर का डेढ़ गुना की दर से शुल्क

उद्घाटित करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः—

सारणी – 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्घाटित और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सङ्क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थातः—

सारणी 2

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	वह दर जिस पर शुल्क देय है
आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में गंडाबौयनपल्ले गांव के पास एनएच-71 के कि.मी. 28.785 पर	20.244 कि.मी. (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:—

सारणी 3

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त ¹ शुल्क संदेय है		दर जिस पर ² शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में गंडाबौयनपल्ले गांव के पास एनएच -71 के	चिन्नातिप्पासमुद्रम - वायलपडु - चिंतपर्थी	3.475 (मौजूदा कि.मी. 3.525),	डिज़ाइन किमी 25.011 (मौजूदा कि.मी. 27.700),	19.724 (संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) अर्थात 1.812 किमी को छोड़कर)	368.37	चार या अधिक लेन के लिए ³ उपर्युक्त सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

28.785 कि.मी. पर.	कलिकिरी	डिज़ाइन किमी 32.600 (मौजूदा किमी 35.400),	डिज़ाइन किमी 38.090 (मौजूदा किमी 40.870),	4.980 (संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) अर्थात्, 0.510 किमी को छोड़कर)	141.73	
	पिलेरु	डिज़ाइन किमी 47.030 (मौजूदा किमी 49.930)	डिज़ाइन किमी 55.000 (मौजूदा किमी 58.338)	7.515 (संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) अर्थात् 0.455 किमी को छोड़कर)	182.71	
				32.219		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:—

सारणी 4			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सङ्क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)	समतुल्य सङ्क लंबाई (कि.मी. में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में गंडाबौयनपल्ले गांव के पास एनएच -71 का 28.785 कि.मी. पर.	3.437 [^]	34.370	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]विवरण निम्नानुसार है:—

चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
कि.मी. से	कि.मी. तक		
6.746	7.481	बड़ा पुल	0.735
11.293	11.398	बड़ा पुल	0.105
11.873	12.023	बड़ा पुल	0.150
12.302	12.552	बड़ा पुल	0.250
16.474	16.579	बड़ा पुल	0.105
19.472	19.694	आरओबी	0.222
22.281	22.526	बड़ा पुल	0.245
27.050	27.380	बड़ा पुल	0.330
34.002	34.112	बड़ा पुल	0.110
35.684	36.014	बड़ा पुल	0.330
37.646	37.716	बड़ा पुल	0.070

40.503	40.608	बड़ा पुल (बाईं ओर 2-लेन एमसीडब्ल्यू की लंबाई 105 मीटर है और दाईं ओर 2-लेन एमसीडब्ल्यू की लंबाई 75 मीटर है)	(0.105+0.075)/2 = 0.090
43.280	43.480	बड़ा पुल (बाईं ओर के एमसीडब्ल्यू पर 2-लेन)	0.200/2 = 0.100
45.150	45.350	बड़ा पुल (बाईं ओर के एमसीडब्ल्यू पर 2-लेन)	0.200/2 = 0.100
46.430	46.510	बड़ा पुल (बाईं ओर के एमसीडब्ल्यू पर 2-लेन)	0.080/2 = 0.040
47.284	47.354	बड़ा पुल	0.070
47.717	47.927	बड़ा पुल	0.210
50.865	50.935	फ्लाईओवर	0.070
53.888	53.993	बड़ा पुल	0.105
कुल			3.437

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350/- रूपए (मात्र तीन सौ पचास रूपए) और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अधिधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:—

सारणी 5		
संदेश धनराशि	एकतरफा यात्रा की अधिकतम अनुमत संख्या	वैद्यमानता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, वशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप – नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खण्ड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी – 1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-2008 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 4119.14 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अद्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. परियोजना-36017(92)/1/2025-पीआईयू तिरुपति/ई-251507]

कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2025

S.O. 2490(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 1050(E) dated 05th March, 2024 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch of 74 Km. length from Madanapalle-Pileru-Kalur of the National Highway Section of New National Highway No.71 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 20.244 Km. (Table-2), and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 34.370 Km. (having length of 3.437 Km., Table-4) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 32.219 Km. (Table-3) costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane of Madanapalle-Pileru Section from design Kilometer 0.000 to Kilometer 55.900 (existing Km 0.000 to Km 59.250) of National Highway number 71 in the State of Andhra Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table 1

Type of Vehicle (1)	Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:—

Table 2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km. 28.785 of NH-71 Near Gandaboyanapalle village in Annamayya District of Andhra Pradesh	20.244 Km. (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :-

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km. 28.785 of NH-71 near Gandaboyanapalle village in Annamayya District of Andhra Pradesh	Chinnatippasamudram - Vayalapadu - Chintaparthi	Design Km. 3.475 (existing Km 3.525),	Design Km. 25.011 (existing Km. 27.700),	19.724 (Excluding length of structures (>60m) i.e., 1.812 Km.)	368.37	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Kalikiri	Design Km. 32.600 (existing Km. 35.400),	Design Km. 38.090 (existing Km. 40.870),	4.980 (Excluding length of structures (>60m) i.e., 0.510 Km.)	141.73	
	Pileru	Design Km. 47.030 (existing Km. 49.930)	Design Km. 55.000 (existing Km. 58.338)	7.515 (Excluding length of structures (>60m) i.e., 0.455 Km.)	182.71	
				32.219		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:—

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in Km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km.)	Rate at which fee is payable)
At Km. 28.785 of NH-71 near Gandaboyanapalle village in Annamayya District of Andhra Pradesh	3.437^	34.370	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under: -

Chainage		Type of Structure	Length (in Km.)
From Km.	To Km.		
6.746	7.481	Major Bridge	0.735
11.293	11.398	Major Bridge	0.105
11.873	12.023	Major Bridge	0.150
12.302	12.552	Major Bridge	0.250
16.474	16.579	Major Bridge	0.105
19.472	19.694	ROB	0.222
22.281	22.526	Major Bridge	0.245
27.050	27.380	Major Bridge	0.330
34.002	34.112	Major Bridge	0.110
35.684	36.014	Major Bridge	0.330

37.646	37.716	Major Bridge	0.070
40.503	40.608	Major Bridge (length of 2-lane on LHS MCW is 105 m & length of 2-lane on RHS MCW is 75 m)	(0.105+0.075)/2 = 0.090
43.280	43.480	Major Bridge (2-lane on LHS MCW)	0.200/2 = 0.100
45.150	45.350	Major Bridge (2-lane on LHS MCW)	0.200/2 = 0.100
46.430	46.510	Major Bridge (2-lane on LHS MCW)	0.080/2 = 0.040
47.284	47.354	Major Bridge	0.070
47.717	47.927	Major Bridge	0.210
50.865	50.935	Flyover	0.070
53.888	53.993	Major Bridge	0.105
Total			3.437

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 350/- (Rupees Three Hundred and Fifty Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is **Rupees 4119.14** crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-36017(92)/1/2025-PIU Tirupati/E-251507]

KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.